

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तारानगर केस वनियाला

हे सराम बनाम हरिसिंह वर्मा

किस्म मुकदमा इजराय नं. 03 सन 2018
2018/00027

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
-------------	--------------------------	---

15/18 यह इजराय इस न्यायालय न्याय आपके द्वारे अटल सेक्रेटरी वनियाला के अनुवानी वदिस 26 के निर्णय दिनांक 1.5.2018 की पालना के तहसीलदार तारानगर का राजस्व खाते में अमल दाम्बे काने हेतु आदेश जारी हो इजराय इजिस्ट्रार की जाते पत्रकारी हल्का वनियाला के अनुतार नामा-लेखन सं. 655 दिनांक 1.5.18 के इजिस्ट्रार स्वीकृत के पुका है। उतः कि इस पत्रावली के कोई कार्यवाही केब नहीं हो पत्रावली निजिय शुमार केकर कारिवल इतरत हो।

ई. न. 655 दिनांक
1-5-18 का
दफा एंकर
लेखित हो
पुका हो
Jakesh
01/05/18
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)